

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275226
SG-DL-E-05082026-275226असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 144
No. 214]	DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948	[N. C. T. D. No. 144

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सं. फा. 9/49/2023/गृह (सा०)/7228-34.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 22.11.1995 की अधिसूचना फा० सं० 9/75/87/गृह (सा०) / खण्ड II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक कारखाना पर्यवेक्षक के पद हेतु निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (क) इन नियमों को दिल्ली कारागार सहायक कारखाना पर्यवेक्षक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन का स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगा।
6. बचाव:- इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	पद का नाम	:	सहायक कारखाना पर्यवेक्षक
2	पदों की संख्या	:	01* (2026) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अलिपिकीय अराजपत्रित,
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रुपये)
5	क्या चयन पद द्वाग अथवा नॉन-चयन पद	:	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं

10	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	:	पदोन्नति :- नियमित आधार पर 08 साल की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (₹19,900-63,200/-) में बुनाई मास्टर, बढई मास्टर, दर्जी मास्टर।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा) अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव- सदस्य 3. उप सचिव (वित्त)- सदस्य टीप: यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो पदोन्नति के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

भूप सिंह, उप-सचिव (गृह)

टीप:- मूल अधिसूचना दिनांक 21.02.1975 को सं० फा0 2/51/74-एस ॥ के द्वारा अधिसूचित हुई थी तथा तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित हुई :-

क्र० सं०	फाइल संख्या	तिथि
1	फा09/75/87/गृह (सा०) / खण्ड II	22.11.1995

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2026

No. F.9/49/2023/HG/7228-34.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/75/87/Home (G)/Vol.II dated 22.11.1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital

Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of **Assistant Factory Supervisor** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Delhi Prisons Assistant Factory Supervisor Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level of pay** - The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.,** - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications- No Person:-**
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to Relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of Post	:	Assistant Factory Supervisor
2	Number of Posts	:	01*(2026)
3	Classification	:	Subject to variation dependent on the workload General Central Service Group-C Non-Gazetted Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	:	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix
5	Whether selection post/non-selection post	:	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruits	:	Not Applicable
7	Educational and other qualification for direct recruits	:	Not Applicable
8	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	:	Not Applicable
9	Period of probation, (if any)	:	Not Applicable
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	:	100 % by promotion
11	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	:	Promotion:- Weaving Master, Carpenter Master, Tailor Master in the level -2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix with 08 years service on a regular basis.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

		1. Principle Secretary/ Secretary (Power)- Chairman. 2. Head of Department concerned- Member. 3. Deputy Secretary (Finance) – Member <u>Note:</u> Senior most member of the Departmental promotion committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in marking recruitment	: Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

BHOOP SINGH, Dy. Secy. (Home)

Note:- The Principal Notification was notified vide No. F.2/51/74-S.II dated 21.02.1975 and subsequently amended as under:-

S.No.	File No.	Date
1	F.9/75/87/Home (G)/Vol.II	22.11.1995